न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ (जिला बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार प्रथम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या – 185/2024

अनवान

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
ग्राम पंचायत खलीफे की बावड़ी, पंचायत समिति गडरारोड़ जरिये सरपंच सारा पत्नि रोशन खां उम्र 55 वर्ष जाति–मुसलमान, निवासी–खलीफे की बावड़ी तहसील–गडरारोड़, जिला–बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिए तहसीलदार गडरारोड़, जिला–बाड़मेर 2. देवजी पुत्र खमीशा उम्र 50 वर्ष 3. पारसा पुत्र खमीशा उम्र 45 वर्ष जाति–मेघवाल, निवासी–खलीफे की बावड़ी तहसील–गडरारोड, जिला–बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–1. श्री कंवराज बेनिवाल अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री भोपालसिह भाटी अधिवक्ता विप्रार्थी 02 से 03।

निर्णय दिनांक 03.02.2026

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तहसील गडरारोड़, पटवार मण्डल खलीफे की बावड़ी के ग्राम खलीफे की बावड़ी में प्रार्थीनी के खातेदारी में खसरा नम्बर 164, 446/425 रकबा कमशः 1.2060, 0.1619 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर, विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में खसरा नम्बर 447/425, 424/164 रकबा कमशः 0.1861, 0.1133 हैक्टेयर भूमि किस्म कमशः बारानी चायम, गैर मुमकिन रास्ता तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 3 की संयुक्त खातेदारी में खेत खसरा नम्बर 346/164 रकबा 2.1044 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी चायम की आई हुई है इसलिए प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वर्तमान लट्ठा नक्शा में की गई तरमीम को निरस्त करते हुए वास्तविक मौका स्थिति अनुसार मौका रिपोर्ट मंगवाई जाकर सही तरमीम किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी गडरारोड, जिला बाड़मेर

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। तहसीलदार गडरारोड़ से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी संख्या 02 से 03 के अधिवक्ता ने जवाब न देते हुए सीधी मौका रिपोर्ट पर बहस करने का निवेदन किया।

मौका रिपोर्ट पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसील[illegible] रिपोर्ट प्रार्थीनी की अनुपस्थिति में बनाई गई इस मौका रिपोर्ट बाबत उसे [illegible] नहीं की गई इसलिए दुबारा मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे। इसके विपरित विप्रार्थी संख्या [illegible] व 03 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार गडरारोड से प्र[illegible] मौका रिपोर्ट ग्राम पंचायत के मौजिज मौतबरान के रूबरू तैयार की गई है और उक्त रिपोर्ट अनुसार वर्तमान लठ्ठा ट्रैस,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

लाईन नक्शा व मौका की स्थिति में कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए प्रार्थीनी का आवेदन खारिज किया जावें।

चुंकि तहसीलदार गडरारोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि ग्राम खलीफे की बावडी के खसरा संख्या 164, 446/425, 447/425, 424/164, 346/164 की मौका तथा रेकर्ड की स्थिति की संबंधित खातेदार तथा मौतबरानों के रूबरू जांच की गई। राजस्व रेकर्ड में खसरा संख्या 164, 446/425 रकबा क्रम : 1.2060, 0.1619 हैक्टेयर किस्म गै.मु.गौचर हैं।खसरा संख्या 447/425 रकबा 0.1861 हैक्टेयर किस्म बा.चा. सिवाय चक दर्ज हैं।खसरा संख्या 346/164 रकबा 2.1044 हैक्टेयर किस्म बा.चा. खातेदारी दर्ज हैं।खसरा संख्या 424/164 रकबा 0.1133 हैक्टेयर किस्म गै.मु.रास्ता दर्ज हैं जो मूल खसरा संख्या 164 रकबा 23.12 बीघा दर्ज था। जिसमें से ग्राम मेदूसर में नाकस. 841 स्वीकृति दिनांक 15.11.1984 द्वारा रकबा 13.00 बीघा खमीशा पुत्र करतुरा के नाम आवंटन हुई। जिसके वर्तमान खसरा संख्या 346/164 हैं जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड अनुसार ही मौके पर काबिज हैं। खसरा संख्या 164 की शेष सिवायचक भूमि (10.12 बीघा) में से गै.मु. रास्ता का आवंटन होने पर खसरे के तीन भाग हुए, जो निम्नानुसार हैं– खसरा संख्या 164, 424/164 व 425/164 रकबा क्रमशः 1.2060, 0.1133, 0.3965 हैक्टेयर किस्म क्रमशः बा.चा., गै.मु.रास्ता, बा.चा.। उक्त कटान रास्ता मौके एवं राजस्व रेकर्ड में समान रूप से दर्ज हैं। तत्पश्चात ग्राम खलीफे की बावडी में नाकस. 1327 स्वीकृति दिनांक 27.09.2022 द्वारा क्षतिपूर्ति हेतु खसरा संख्या 164 रकबा 1.2060 हैक्टेयर व खसरा संख्या 425/164 में रकबा 0.1619 हैक्टेयर गौचर हेतु आवंटन हुई। जिसकी तरमीम नामान्तरकरण के पृश्ठ पीछे अंकित हैं। जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड के अनुसार तंथा मौके के अनुसार समान रूप से दर्ज हैं। 425/164 में शेष रकबा 0.2346 हैक्टेयर किस्म बा.चा. वर्तमान में खसरा संख्या 447/425 दर्ज हैं। उक्त खसरों की राजस्व रेकर्ड में अंकित तरमीम (वर्तमान लठ्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू राजस्व नक्शा) तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम समान रूप से दर्ज हैं। मौके तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम की स्थिति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं हैं। उक्त तरमीम को संलग्न नक्शे में (प्रपत्र–अ) अनुसार दर्शाया गया हैं।

हमने उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली में मौजूद दस्तावेजो का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार गडरारोड से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम खलीफे की बावडी की खातेदारी में खसरा नम्बर 164, 446/425 रकबा कमशः 1.2060, 0.1619 हैक्टेयर भूमि किस्म गैर मुमकिन गोचर, विप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी में खसरा नम्बर 447/425, 424/164 रकबा कमशः 0.1861, 0.1133 हैक्टेयर भूमि किस्म कमशः बारानी चायम, गैर मुमकिन रास्ता तथा विप्रार्थी संख्या 2 से 3 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

युक्त खातेदारी में खेत खसरा नम्बर 346/164 रकबा 2. 1044 हैक्टेयर भूमि किस्म बा.चा. की तरमीम (वर्तमान लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन भू राजस्व नक्शा) तथा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम समान रूप से दर्ज हैं। मौके तथा राजस्व रेकर्ड में तरमीम की स्थिति में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं हैं।

लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार करने का कोई औचित्य प्रतीत नही होने से प्रार्थीनी का आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सुरेश कुमार प्रथम)
उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया व मुहर अदालत के जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गडरारोड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Date: 2026.03.19 13:09:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner